खानों में श्रमिकों की उच्च मृत्यु दर

2815. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की खानों में श्रमिकों की दुर्घटनावश मृत्यु होने का औसत विश्व के अन्य देशों, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका आदि से कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खानों में श्रमिकों की इस प्रकार की मौतें रोकने हेतु कोई विशेष प्रबंध किए हैं; और

(ग) नेशनल काउंसिल फार सेफ्टी इन माइंस विभाग के कर्मचारियों को किस विभाग में खपाया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) भारत में कोयला खानों में कार्यरत प्रति हजार कर्मकारों की मृत्यु दरें सामान्यत : कुछ विकसित देशों की तुलना में कम हैं। भारत में और कुछ अन्य देशों में मृत्यु दरों का तुलनात्मक विवरण तथा साथ ही भारत में गैर-कोयला खानों में मृत्यु दरों का एक विवरण संलग्न है। विदेशों में गैर-कोयला खानों में मृत्यु दरों की सूचना नहीं रखी जाती है।

[देखिए परिशिष्ट–148 अनुपत्र संख्या–123]

(ख) भारत में खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके प्रावधानों की सतत पुनरीक्षा की जाती है और खानों में सुरक्षा की पूर्ण स्थिति में सुधार लाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। खान अधिनियम, 1952 को वर्ष 1983 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। कुछ मुख्य संशोधन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, खानों में नियोजन के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम आयु में वृद्धि, कर्मकारों के निरीक्षकों की नियुक्ति करके और सुरक्षा समितियों का गठन करके सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए दण्डों को बढ़ाने से संबंधित है।

(ग) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद को समाप्त नहीं किया गया है और इस परिषद् का कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में खपाया नहीं गया है।

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े हुए कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट भंडार

2816. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़ी मात्रा में आयातित कैल्शियम का भंडार जमा है;

(ख) यदि हां तो कितनी मात्रा उपलब्ध है और क्या कारपोरेशन ने उसकी बिक्री के लिए टेंडर आमंत्रित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने गत वर्ष निगम को इस उर्वरक को बेचने के आदेश दिए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार आदेशों के इस संबंध में बरती गयी लापरवाही के बारे में विस्तृत जांच करेगी और इस संबंध में तथ्यों का पता लगायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास

कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट (कैन) का कुल स्टाक नीचे दिया गया है :-

ठोस - 9542 मीटरी टन
घटिया - 18768 मीटरी

निगम के पंजाब क्षेत्र ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अनुदेशों के अनसार केन्द्रीय/राज्य सरकारों के स्वामित्व के संयुक्त सेक्टर के उपक्रमों को घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट बेचने के लिए अगस्त, 1988 में टेंडर आमंत्रित किए थे ।

(ग) कृषि मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी किए थे कि वे प्राइवेट पार्टियों को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए कैल्शियम एमोनियम नाईट्रेट न बेचे क्योंकि घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का दुरूपयोग करने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई थी । तथापि, निगम को केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्व क सरकारी क्षेत्र/संयुक्त सैक्टर के उपक्रमों को घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट बेचने का इजाजत दी गई थी ।

(घ) निगम ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार टैंडर इन्क्वायरी जारी की थी ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचनानुसार रबी मौसम 1988-89 के दौरान कृषि प्रयोजनो के लिए जहा कही भी मानक कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का स्टाक पड़ा था, कृषि मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी 9,542 मीटरी टन मानक कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट की समस्त मात्रा राज्य सरकारों के पक्ष में जारी कर दी थी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वामित्व के सरकारी क्षेत्र/संयुक्त सैक्ट र के उपक्रमों, जिन्हें औद्योगिक प्रयोजन ा के लिए घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट की जरूरत हैं, से इस खरीदने के लिए कहे ताकि इस घटिया कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट के पुराने स्टाक का निपटान करने में भारतीय खाद्य निगम की मदद की जा सके ।

गुजरात में फसल बीमा योजना

2817. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अधीन आज तक राज्यवार कितने किसानों के भूमि क्षेत्र को शामिल किया गया हैं ;

(ख) माननीय कृषि मंत्री द्वारा गुजरात के किसानों को क्या आश्वासन दिया गया था और इस आश्वासन को कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि मांगी गई है और यह राशि उन्हें कब तक दे दिये जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वृहत फसल बीमा योजना के तहत 1987-88 के दौरान कवर किए गए किसानों की संख्या और क्षेत्र को दर्शाने वाला एक राज्यवार विवरण पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(नीचे देखिये)

(ख) और (ग) गुजरात के खरीफ, 1987 के दावों के शीघ्र निपटान के लिए किसानों के एक संगठन का एक प्रतिनिधि कृषि मंत्री से मिला था। विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि वृहत फसल बीमा योजना क तहत गुजरात में खरीफ,